

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.02.2021

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोड़रे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव कुमार पुत्र श्याम लाल नि0 मधईपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0—29 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबू पुत्र देवेन्द्र नि0 अतर सुईयॉ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0—66 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

01 किलो0 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बब्लू पुत्र इब्राहिम नि0 पठान टोला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु030सं0—54 / 21, धारा 8 / 20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो0 100 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 13.02.2021 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 वशी अहमद मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नहर पुलिया पाठकपुरवा वीरपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 वशी अहमद।
02. है0का0 रामप्रताप सिंह।
03. का0 देवनाथ यादव।

